

वार्षिक लेखा ANNUAL ACCOUNTS 2022-23



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

वार्षिक लेखा

2022-23



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विषय-सूची

लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र एवं प्रतिवेदन	1-4
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	5
आय एवं व्यय लेखा	6
तुलन-पत्र	7
वित्तीय विवरणों की अनुसूची	8-20
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	21
लेखा संबंधी टिप्पणियां	22-24

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) की दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 50 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104 (2) के साथ पढ़ने योग्य, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, पद और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते तथा प्राप्तियां और भुगतान खातों की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना है।

इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों में केवल, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप वर्गीकरण, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में लेखांकन प्रबंध पर टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता-एवं-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/कैंग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच के आधार पर परीक्षण करना शामिल होता है। किसी ऑडिट में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जोकि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
- ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्तियां और भुगतान खाते को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विद्युत विभाग) द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- iii. हमारे विचार में, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(1) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है, जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

स्थायी परिसंपत्तियां (अनुसूची-3) – रु. 5.41 करोड़

आरक्षित निधि और अधिशेष (अनुसूची-1) – रु. 5.41 करोड़

1. उपरोक्त में 'डीईआरसी के परिसर में पोर्टा केबिन के नवीनीकरण' कार्य पर खर्च किए गए रु. 4.31 लाख शामिल नहीं हैं जोकि जनवरी 2022 को पूर्ण हो गया था और पूर्ण और अंतिम भुगतान फरवरी 2022 में किया गया था। चूंकि, नवीनीकरण परिसंपत्ति में एक सुधार है जो इसके मूल्य और जीवन को बढ़ाता है, इसलिए, इसे प्रमुख स्थायी परिसंपत्तियों – "पोर्टा केबिन" के तहत पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। हालांकि, इसे वर्ष 2021-22 के दौरान 'अन्य प्रशासनिक व्यय' शीर्षक के तहत 'भवन मरम्मत और रखरखाव व्यय' के रूप में दर्ज किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों और आरक्षित निधियों तथा अधिशेष को रुपये 4.31 लाख, प्रत्येक से कम बताया गया।

वर्ष 2021-22 के खातों पर सीएजी की टिप्पणी के बावजूद आयोग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2. उपरोक्त में पूर्व वर्ष (2021-22) में आयोग की वेबसाइट के विकास और वृद्धि के कार्य पर खर्च किए गए रु. 22.56 लाख शामिल नहीं हैं, चूंकि, वेबसाइट के विकास और संवर्द्धन पर होने वाला खर्च आवर्ती प्रकृति का नहीं है और वेबसाइट के रूप में एक स्थायी परिसंपत्ति बनाई गई है जिसका उपयोग एक से अधिक लेखांकन अवधि के लिए किया जाएगा, इसलिए, इसे 'अमूर्त संपत्ति' या 'सॉफ्टवेयर' शीर्षक के तहत लेखांकन मानक 10 के अनुसार स्थायी परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों (अमूर्त संपत्ति/कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) और पूर्व अवधि के खर्चों को रु. 22.56 लाख, प्रत्येक कम बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए अधिशेष उसी सीमा तक कम हो गया।

वर्ष 2021-22 के खातों पर सीएजी की टिप्पणी के बावजूद आयोग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

3. इसमें उपरोक्त रु.1.18 लाख शामिल नहीं हैं जो पूंजीगत परिसंपत्ति पर व्यय किये गए हैं। उन्नत/अद्यतन वेबसाइट (24 महीने के लिए वैध) के लिए सिक्वोर सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाणपत्र की खरीद पर खर्च किए गए रु. 0.24 लाख रुपये को 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के तहत 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्यय' के रूप में बुक किया गया और रु. वर्ष 2022-23 के दौरान अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में 'सम्मेलन कक्ष में कार्य स्टेशन के निर्माण और स्थापना' और बांस चिक पर्दे की खरीद और फिटमेंट' पर रु.0.94 लाख रुपये खर्च किए गए।

इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्ययों को अधिक बताया गया और स्थायी परिसंपत्ति को रु. 1.18 लाख, प्रत्येक कम बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए अधिशेष को भी उसी हद तक कम करके आंका गया।

ख. सहायता अनुदान

4. आयोग के पास अप्रयुक्त अनुदान का प्रारंभिक शेष रु. 3.62 करोड़ था। वर्ष के दौरान आयोग को रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से रु. 21.21 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। आयोग ने वर्ष के दौरान रु. 21.24 करोड़ का उपयोग किया था और 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त अनुदान का अंतिम शेष रु. 3.59 करोड़ था।
 - v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाता लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - vi. हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
- क) अब तक यह 31 मार्च 2022 को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है;
- ख) अब तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष पर आय और व्यय खाते से संबंधित है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12.12.2023

अनुलग्नक -I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग के पास कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ नहीं है और वर्ष 2022-23 के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है। आंतरिक लेखा परीक्षा से खामियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने में मदद मिलेगी और प्रबंधन द्वारा लगाए गए आंतरिक नियंत्रण को भी मजबूत किया जाएगा। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव ने आयोग की कार्यप्रणाली को कमजोर बना दिया।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप थी।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

जीएफआर 22 के अनुसार, आयोग को स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर (एफएआर) बनाए रखना आवश्यक था। हालांकि, एफएआर के सत्यापन पर निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

- वर्ष की शुरुआत और अंत में परिसंपत्तियों का कोई प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं था।
- वार्षिक खातों के अनुसार, 'कंप्यूटर/परिपार्श्व' मद के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान रु.43.64 लाख की परिसंपत्तियों की खरीद की गई, तथापि, एफएआर के अनुसार, कंप्यूटर/परिपार्श्व वर्ष 2022-23 के दौरान रु. 39.87 लाख क्रय दर्शाये गये हैं। इस प्रकार, रु. 3.77 लाख का अंतर था जो एफएआर बनाए रखने में विसंगतियों को दर्शाता है और इसे नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है।
- संपत्ति की खरीद/बट्टे खाते में डालने की प्रविष्टियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थीं।

4. मालसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2022-23 की मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा को दी गई सूचना के अनुसार, आयोग नियमित रूप से वैधानिक बकायों का भुगतान कर रहा है।



वरिष्ठ उप महालेखाकार (टीएससी)

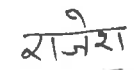
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रारंभिक शेष			1. व्यय		
क) नकद राशि	1,34,186	3,35,818	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 11 के अनुरूप)	16,49,36,280	13,87,96,028
ख) बैंक शेष			ख) अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुरूप)	4,00,92,695	3,54,71,549
(i) बचत खाते में	3,57,07,915	4,68,12,396			
2. अनुदान			2. अग्रिम/ऋण का भुगतान		
क) रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से	21,20,95,249	16,77,02,198	क) स्टाफ को अग्रिम		
3. शुल्क एवं अंशदान			(i) अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम	16,45,774	57,228
क) अनुज्ञप्ति शुल्क	9,00,18,943	10,77,99,196	(ii) तकनीकी उपकरणों के लिए अग्रिम	2,64,000	2,64,000
ख) प्रक्रियागत शुल्क	1,30,87,300	87,73,575	(iii) टीए/डीए अग्रिम		
4. ब्याज			(iv) विदेश टीए/डीए अग्रिम	12,74,198	
क) सिंड सुविधा जमा से	5,14,678	7,14,335	ख) आकस्मिक अग्रिम		
5. अन्य आय			(i) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम	1,55,000	
क) पुस्तकों/प्रपत्रों आदि की बिक्री से प्राप्तियां	246	2,665	(ii) किराए का अग्रिम भुगतान		7,04,060
ख) अन्य प्राप्तियां	25,000	46,522	(iii) कर्मचारियों को अग्रदाय	51,000	42,000
ग) जुर्माना	1,60,000	40,000			
घ) आरटीआई, अधिनियम के अधीन प्राप्तियां	1,000	1,210	3. स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत		
ड) स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	5,11,751	5,07,513	चालू कार्य पर व्यय		
6. ऋण/जमा से प्राप्तियां			क) स्थायी संपत्तियों की खरीद		
क) कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली			(i) भवन/पोर्टा केबिन पर पूंजीगत व्यय		
(i) अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम	12,73,962	72,204	(ii) कार्यालय उपकरण		3,43,970
(ii) तकनीकी उपकरणों के लिए अग्रिम	2,64,000	2,64,000	(iii) फर्नीचर तथा फिटिंग्स	7,59,140	36,67,496
(iii) टीए/डीए अग्रिम			(iv) कम्प्यूटर/परिपार्श्व	2,92,588	3,77,531
(iv) विदेश टीए/डीए अग्रिम	12,74,198		(v) तकनीकी उपकरण	43,64,438	6,48,856
ख) आकस्मिक अग्रिम की वसूली/समायोजन			(vi) वाहन	12,53,081	8,34,622
(i) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम	1,55,002	14,24,985	4. अप्रयुक्त अनुदान/ऋण/प्राप्तियों	6,97,482	
(ii) किराए का अग्रिम भुगतान		3,46,500	की वापसी		
(iii) कर्मचारियों को अग्रदाय	51,000	42,000	क) रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषित प्राप्तियां	10,43,18,918	11,78,85,016
ग) अन्य जमा			5. जमा की वापसी/भुगतान		
(i) प्रतिभूति जमा	6,300	14,340	क) प्रतिभूति जमा	51,500	15,000
(ii) धरोहर राशि	10,000	7,90,000	ख) प्रतिभूति जमा (परिसंपत्तियां)		
7. प्रेषण प्राप्तियां			ग) धरोहर राशि	3,30,000	7,40,000
क) लंबित संवितरण वसूली	25,99,459	28,44,465	6. प्रेषण प्राप्तियां		
ख) ईपीएफ प्रेषण खाता	1,86,80,615	1,63,62,852	क) लंबित संवितरण वसूली	25,99,459	28,44,465
			ख) ईपीएफ प्रेषण खाता	1,86,80,615	1,63,62,852
			7. अंतिम शेष		
			क) नकद राशि	1,99,906	1,34,186
			ख) बैंक शेष		
			(i) बचत खाते में (अनुसूची 11 के अनुरूप)	3,46,04,730	3,57,07,915
कुल	37,65,70,804	35,48,96,774	कुल	37,65,70,804	35,48,96,774

तिथि: 27.06.2023
स्थान: नई दिल्ली


 (वी.बी. नागपुर्नी)
 सलाहकार (वित्त)


 (राजेश डांगी)
 सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

क. आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. अनुदान	7	21,23,95,704	18,01,40,052
2. शुल्क एवं अंशदान	8	10,31,06,243	11,65,72,771
3. जमा ऋण/अग्रिम आदि पर प्राप्त ब्याज	9	5,14,678	7,14,335
4. अन्य आय	10	6,97,997	5,97,910
कुल (क)		31,67,14,622	29,80,25,068
ख. व्यय			
1. स्थापना व्यय	11	16,49,36,280	13,87,96,028
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	12	4,00,92,695	3,54,71,549
3. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषण	13	10,43,18,918	11,78,85,016
कुल (ख)		30,93,47,893	29,21,52,593
व्यय से अधिक आय की शेष राशि (क-ख) - संचय एवं अधिव्य (स्वतंत्र) में हस्तांतरित		73,66,729	58,72,475

वी.बी. नागप्पन
(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश
(राजेश डांगी)
सचिव

तिथि: 27.06.2023

स्थान: नई दिल्ली

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
संग्रह/पूँजीगत निधि एवं देयताएं			
संचय एवं आधिक्य	1	5,40,82,514	4,75,23,776
चालू देनदारियां तथा प्रावधान	2	3,60,36,021	3,67,01,676
कुल		9,01,18,535	8,42,25,452
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	3	5,40,82,514	4,75,23,776
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि			
क) नकद एवं बैंक में शेष	4	3,48,04,636	3,58,42,101
ख) ऋण एवं अग्रिम	5	9,67,992	5,96,182
ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	6	2,63,393	2,63,393
कुल		9,01,18,535	8,42,25,452

वी.बी. नागप्पन

(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश

(राजेश डांगी)
सचिव

तिथि: 27.06.2023

स्थान: नई दिल्ली

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1— संचय एवं आधिक्य	चालू वर्ष		गत वर्ष	
आय का व्यय से आधिक्य — गत वर्ष के लेखा अनुसार	4,75,23,776		4,29,21,884	
जोड़ा: वर्ष के आधिक्य	73,66,729		58,72,475	
घटा: पूंजीगत निवेश बढ़े खाते डाले (अनुसूची 3 के अनुसार)	8,07,991	5,40,82,514	12,70,583	4,75,23,776
वर्ष के अंत में शेष		5,40,82,514		4,75,23,776

वी.बी. नागप्पन

(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश

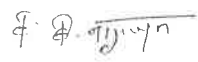
(राजेश डांगी)
सचिव

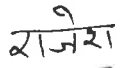
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

अनुसूची 2 – चालू देयताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. चालू देयताएं				
1. प्राप्त अग्रिम				
क) प्रतिभूति जमा	1,26,528		1,71,728	
ख) धरोहर राशि	50,000	1,76,528	3,70,000	5,41,728
2. सांविधिक देयताएं				
क) देय खाता	—	—	—	—
3. अन्य चालू देयताएं				
क) अप्रयुक्त अनुदान	3,58,59,493	3,58,59,493	3,61,59,948	3,61,59,948
कुल (क)		3,60,36,021		3,67,01,676
ख. प्रावधान		—		—
कुल (ख)		—		—
कुल (क+ख)		3,60,36,021		3,67,01,676


 (वी.बी. नागप्पन)
 सलाहकार (वित्त)


 (राजेश डांगी)
 सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाला गया	वर्ष के अंत में लागत/मूल्य
अनुसूची 3 – स्थायी परिसंपत्तिया				
विवरण				
क. स्थायी परिसंपत्तिया				
पुस्तकें	1,48,315	—	(—)	1,48,315
स्थायी परिसंपत्ति—“पोर्टा केबिन”	53,65,845	—	(—)	53,65,845
कम्प्यूटर/परिपार्श्व	1,04,78,408	43,64,438	(—)	1,48,42,846
विद्युत संस्थापन	2,02,480	—	(—)	2,02,480
फर्नीचर और फिक्चर्स	1,07,34,970	2,92,588	(—)	1,10,27,558
कार्यालयी उपकरण	1,32,41,724	7,59,140	(8,07,991)	1,31,92,873
तकनीकी उपकरण	32,15,687	12,53,081	(—)	44,68,768
वाहन	41,36,347	6,97,482	(—)	48,33,829
कुल (क)	4,75,23,776	73,66,729	(8,07,991)	5,40,82,514
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर				—
कुल (क+ख)				5,40,82,514

वी.बी. नागप्पन
(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश
(राजेश डांगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

अनुसूची 4 – नकद एवं बैंक शेष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
नकद शेष		1,99,906		1,34,186
अनुसूचित बैंकों में शेष				
- बचत खातों में				
- केनरा बैंक (सिडिकेट बैंक) – प्राप्त अनुदान राशि के लिए	3,46,04,730		3,57,07,915	
- चालू खातों में				
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया – प्राप्त राजस्व के लिए	—	3,46,04,730	—	3,57,07,915
कुल		3,48,04,636		3,58,42,101

वी.बी. नागप्पन
(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश
(राजेश डांगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 5 – ऋण और अग्रिम				
क. कर्मचारियों को अग्रिम				
क) अवकाश यात्रा खर्चा के लिए अग्रिम	3,71,812		—	
ख) टीए/डीए अग्रिम	—		—	
ग) कर्मचारियों को अग्रदाय	—	3,71,812	—	—
ख. अन्य ऋण और अग्रिम				
क) आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार को	9,900		9,902	
ख) किराए का अग्रिम भुगतान	5,86,280	5,96,180	5,86,280	5,96,182
कुल		9,67,992		5,96,182

व. बी. नागप्पन

(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश

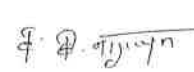
(राजेश डांगी)
सचिव

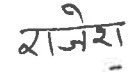
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 – अन्य चालू परिसंपत्तियां	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. विविध जमा				
क) प्रतिभूति जमा				
– वीएसएनएल/बीएसएनएल के पास जमा	293		293	
– एमटीएनएल के पास जमा	18,000		18,000	
– एयरटेल के पास जमा	1,500		1,500	
– अपीलीय अधिकृति के पास जमा	2,43,600	2,63,393	2,43,600	2,63,393
कुल		2,63,393		2,63,393


 (वी.बी. नागप्पन)
 सलाहकार (वित्त)


 (राजेश डांगी)
 सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 7 – अनुदान से आय				
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त अनुदान	24,82,55,197		21,63,00,000	
जमा: अप्रयुक्त अनुदान का अधिस्थगन	—		—	
घटा: अप्रयुक्त अनुदान	3,58,59,493	21,23,95,704	3,61,59,948	18,01,40,052
वर्ष के अंत में अनुदानों से शुद्ध आय		21,23,95,704		18,01,40,052

वी.बी. नागप्पन

(वी.बी. नागप्पन)

सलाहकार (वित्त)

राजेश

(राजेश डांगी)

सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 8 – शुल्क एवं अंशदानों से आय		
क. अनुज्ञप्ति शुल्क	9,00,18,943	10,77,99,196
ख. प्रक्रियागत शुल्क	1,30,87,300	87,73,575
वर्ष के अंत में शुल्क एवं अंशदानों से शुद्ध आय	10,31,06,243	11,65,72,771

(वी.बी. नागप्पन)

(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

(राजेश)

(राजेश डांगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च, 2023 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
<u>अनुसूची 9 - जमा/ऋण/अग्रिम आदि पर</u> <u>अर्जित ब्याज से आय</u>		
बैंक जमा पर ब्याज	5,14,678	7,14,335
वर्ष के अंत में जमा/ऋण/अग्रिम आदि पर अर्जित ब्याज से शुद्ध आय	5,14,678	7,14,335

वी.बी. नागप्पन
(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश
(राजेश डांगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च, 2023 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 10 – अन्य आय		
क. पुस्तकों/प्रपत्रों आदि की बिक्री से आय	246	2,665
ख. जुर्माना	1,60,000	40,000
ग. सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्तियां	1,000	1,210
घ. अन्य प्राप्तियां	25,000	46,522
ड. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	5,11,751	5,07,513
वर्ष के अंत में अन्य आय	6,97,997	5,97,910

वी.बी. नागप्पन
(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश
(राजेश डांगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च, 2023 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

अनुसूची 11 - स्थापना व्यय	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. वेतन तथा भत्ते				
— आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य	34,30,529		41,15,953	
— अधिकारीगण एवं स्थापना	8,65,61,261		7,38,45,148	
— परिवहन भत्ता	44,47,919	9,44,39,709	43,84,459	8,23,45,560
2. मजदूरी		1,24,08,152		1,05,37,631
3. मानदेय तथा शुल्क		1,47,020		4,01,000
4. शिक्षण शुल्क		9,18,000		8,91,000
5. चिकित्सा व्यय		31,82,344		29,74,225
6. बोनस		2,41,780		2,34,296
7. अवकाश भत्ता रियायत		15,26,510		1,23,102
8. छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान		4,69,476		8,56,154
9. ईपीएफ में नियोक्ता का अंशदान		84,37,715		75,49,052
10. ईपीएफसी को ईडीएलआई अंशदान		52,124		50,925
11. ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क		3,77,339		3,41,479
12. घरेलू यात्रा व्यय		3,26,045		5,75,961
13. स्थानीय यात्रा व्यय		15,43,672		13,61,600
14. विदेश यात्रा व्यय		22,05,216		12,980
15. किराया		3,12,96,429		2,57,67,269
16. पट्टे पर लिए आवास की मरम्मत एवं रखरखाव		36,17,328		18,54,920
17. शिविर कार्यालय सुविधा व्यय		18,10,995		17,36,383
18. अखबारों और पत्रिकाओं के व्ययों हेतु प्रतिपूर्ति		4,57,423		3,73,352
19. टेलीफोन / इंटरनेट आदि की प्रतिपूर्ति		9,28,003		8,09,139
20. कर्मचारी कल्याण निधि		5,51,000		—
कुल		16,49,36,280		13,87,96,028

वी.बी. नागप्पन
(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश
(राजेश डॉगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च, 2023 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

अनुसूची 12 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. लेखा परीक्षा शुल्क	4,23,210	3,46,830
2. बैंक शुल्क	946	800
3. पुस्तकें और पत्रिकाएं	65,508	58,927
4. भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	7,37,849	10,04,482
5. कम्प्यूटर उपभोज्य	5,09,584	3,44,910
6. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व्यय	3,67,023	26,97,715
7. सम्मेलन एवं बैठक व्यय	12,70,511	7,68,298
8. यात्रा व्यय	—	—
9. विद्युत उपसाधन व्यय	88,971	49,827
10. उपस्कर और मशीनरी मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	5,08,934	8,38,685
11. किराए पर वाहन लिए जाने पर व्यय	11,52,560	4,05,468
12. विविध व्यय	8,00,349	8,27,327
13. समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर व्यय	50,300	16,286
14. पेट्रोल व्यय	6,10,964	4,57,601
15. डाक टिकटें और टेलीग्राम व्यय	75,555	63,492
16. मुद्रण प्रभार एवं प्रपत्र व्यय	1,33,041	2,85,710
17. किराया, दरें और कर	1,75,624	—
18. फर्नीचर एवं फिटिंग की मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	1,47,534	81,235
19. लेखन सामग्री व्यय	3,46,496	1,98,546
20. टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	7,41,243	7,46,364
21. प्रशिक्षण व्यय	2,87,920	58,410
22. वाहन मरम्मत और रखरखाव व्यय	3,31,204	2,61,245
23. जल और विद्युत व्यय	31,23,709	26,47,936
24. विज्ञापन और प्रचार	24,93,965	27,39,352
25. व्यावसायिक सेवाएं	1,52,23,593	1,13,63,081
26. कानूनी व्यय	96,63,673	85,11,942
27. सदस्यता शुल्क	7,62,429	6,97,080
कुल	4,00,92,695	3,54,71,549

वी.बी. नागप्पन

(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश

(राजेश डांगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

31 मार्च, 2023 को आय एवं व्यय लेखा के गठित भाग की अनुसूची

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 13 - रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषण		
क. अनुज्ञप्ति शुल्क	9,00,18,943	10,77,99,196
ख. प्रक्रियागत शुल्क	1,30,87,300	87,73,575
ग. पुस्तकों/प्रपत्रों की बिक्री से प्राप्तियां	246	2,665
घ. जुर्माना	1,60,000	40,000
ड. सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्तियां	1,000	1,210
च. अन्य प्राप्तियां	25,000	46,522
छ. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	5,11,751	5,07,513
ज. बैंक जमा पर ब्याज	5,14,678	7,14,335
कुल	10,43,18,918	11,78,85,016

वी.बी. नागप्पन

(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश

(राजेश डांगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अनुसूची 14 . महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

- (1) ये वार्षिक लेखा महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) दिल्ली के कार्यालय के पत्रांक CAS/DERC/A/cs/2002-03/538 दिनांकित 13.10.2004 द्वारा अनुमोदित लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की अधिसूचना संख्या F.11/(129)/2003/Power/499 दिनांकित 03.03.2010 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।
- (2) ये वार्षिक लेखा नकद आधार पर तैयार किए गए हैं।
- (3) प्राप्त अनुदान सहायता तथा राजस्व प्राप्ति पृथक बैंक खातों में रखी गई हैं।
- (4) आयोग की वर्ष 2022-23 की राजस्व प्राप्तियों को नियमित आधार पर रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषित किया गया था और आयोग के किसी भी व्यय के लिए कभी उपयोग नहीं किया गया।
- (5) राजस्व प्राप्तियों पर आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (6) अनुदान सहायता राशि तथा अन्य विविध प्राप्तियों की गणना नकद आधार पर की गई है।
- (7) सभी उपार्जित पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की गणना नकद आधार पर की गई है।
- (8) लेखा में, उपार्जित व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (9) स्थायी परिसम्पतियों का मूल्यांकन सामान्य वित्त नियम, 1963 के नियम 151(4) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण लागत पर किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, स्थायी परिसम्पतियों पर किसी मूल्य ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास की बजाए, संचय और अधिक्य कोष में उतनी कमी कर दी जाएगी जितनी परिसंपत्तियों को उस वर्ष बड़े खाते में डाला गया है और अनुसूची 1 में "पूंजीगत निवेश बड़े खाते" में दिखाया गया है। दूसरी ओर, सभी स्थायी परिसम्पतियों की गणना अधिग्रहण लागत के आधार पर की जाएगी और जब भी किन्हीं विशेष परिसम्पतियों की बिक्री की जाएगी, पूरी लागत, अर्थात् अधिग्रहण लागत बड़े खाते चली जाएगी।

व. बी. नागप्पन

(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश

(राजेश डांगी)
सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अनुसूची 15 – लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग की राजस्व प्राप्तियां निम्नलिखित विवरण के अनुसार रु.10,38,04,240 /- है।

क. अनुज्ञप्ति शुल्क	रु.	9,00,18,943
ख. प्रक्रियागत शुल्क	रु.	1,30,87,300
ग. पुस्तकों/प्रपत्रों की बिक्री से प्राप्तियां	रु.	246
घ. जुर्माना	रु.	1,60,000
ड. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां	रु.	1,000
च. अन्य प्राप्तियां	रु.	25,000
छ. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	रु.	5,11,751

उपरोक्त राजस्व प्राप्तियां नियमित आधार पर रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषित कर दी गई थी।

2. डीईआरसी की अनुदान सहायता को सिंडिकेट बैंक(अब केनरा बैंक) की 'सिंड सुविधा जमा स्कीम' में रखा गया था, जिसके ऊपर वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में रु. 5,14,678/- प्राप्त हुए। प्राप्त किया गया ब्याज भी उपरोक्त (1) में बताए गए अनुसार इस वर्ष के दौरान प्रेषित राजस्व प्राप्तियों से अलग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को समय-समय पर प्रेषित कर दिया गया था।
3. तुलन पत्र, प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा में सभी आंकड़े रुपए में दर्शाए गए हैं।
4. ड्राफ्ट डीईआरसी निधि नियमों को, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, डीईआरसी की समस्त राजस्व प्रप्तियां नियमित आधार पर रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजी जा रही हैं। यह महालेखानियंत्रक के पत्र दिनांकित 28.11.2001 की पद्धति पर है जिसके माध्यम से उनके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आयोग की प्राप्तियां सरकार की प्राप्तियां होंगी तथा सरकारी खाते में क्रेडिट की जाएंगी। डीईआरसी निधि के सृजन के पश्चात् यह आयोग, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23) के अधीन छूट की मंजूरी हेतु आवेदन करेगा।
5. अप्रैल, 2011 में, विद्युत विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार ने डीईआरसी को वसंत कुंज में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) के 220 कि.वा. सब-स्टेशन के पूर्वी भाग में स्थित 5000 वर्ग मीटर (लगभग) माप की भूमि रु.1000/- प्रति वर्ष की लागत पर पट्टे पर आवासीय बंगले/फ्लैट बनाने हेतु आवंटित की थी।

हालांकि, यह देखा गया कि आवंटित भूमि आवासीय उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि यह डीटीएल के स्टोर्स द्वारा घिरी हुई है तथा भारी मशीनरी के परिवहन के कारण दिन और रात के समय उपकरणों को ढोने और उतारने के दौरान अत्यधिक शोर भी उत्पन्न हो सकता है, और साथ ही साथ उक्त भूमि यातायात और भारी जाम वाली जगह पर स्थित है। इसलिए, डीईआरसी ने सरकार से अपनी पत्र संख्या F.1(308)/Estt-/DERC/2011-12/372 दिनांकित 20.05.2016 एवं अनुवर्ती अनुस्मारक संख्या 769 दिनांकित 29.06.2016 के माध्यम से अनुरोध किया कि वह वसंत कुंज की भूमि का आवंटन रद्द करे तथा भूमि का कोई उपयुक्त वैकल्पिक खंड आवंटित करे।

6. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपनी पत्र संख्या F311/11/2005-Power/1140 दिनांकित 15.04.2011 के माध्यम से डीईआरसी को 2035 तक डीईआरसी के अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए रिहायशी फ्लैटों का निर्माण करने के लिए दो एकड़ जमीन पट्टे पर जनकपुरी रिहायशी कालोनी कॉम्पलेक्स में प्रयोग करने के अधिकार के आधार पर आवंटित की है। उपरोक्त जमीन को स्थायी परिसंपत्तियों में नहीं दर्शाया गया क्योंकि जमीन की न तो लीज डीड करवायी गयी है और न ही अभी तक डीईआरसी द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है।
7. डीईआरसी ने ब्याज सहित लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए एनडीएमसी को दिनांक 07.09.2020 को एक प्रारंभिक नोटिस जारी किया है। इस संबंध में, डीईआरसी ने 06.01.2023 को एनडीएमसी को वित्तीय वर्ष से 2003-04 के बाद से 31.12.2022 की तारीख तक विलंबित भुगतान के कारण 1% प्रति माह की दर से अर्जित ब्याज के साथ, बिल की गई वार्षिक राशि का 0.05% की दर से वार्षिक/लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। एनडीएमसी को इस आदेश के पारित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर तदनुसार अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। 31.03.2023 तक लाइसेंस शुल्क और उस पर ब्याज की राशि 16,29,66,099/- रुपये है।
8. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को अनुज्ञप्ति शुल्क का देशी से भुगतान करने के लिए रु.3,33,13,978/- ब्याज का भुगतान करना है। डीटीएल विरोध के तहत अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान कर रही है। डीटीएल ने अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 2807/2019 दायर भी की है और यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।
9. डिस्कॉम (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल) के लेखा परीक्षित खातों के आधार पर, देय वास्तविक लाइसेंस शुल्क रु. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) द्वारा 4.80 करोड़ रु. बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा 2.52 करोड़ रुपये और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) द्वारा 3.73 करोड़ है।
10. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान सहायता के लिए रुपये 24,82,55,197/- स्वीकृत किए गए थे, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 3,61,59,948/- की अप्रयुक्त अनुदान सहायता भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23-24 के अंत में अनुदान सहायता का समापन शेष रु. 3,58,59,493/- जिसे आय और व्यय खाते के आय पक्ष से काट लिया गया है और बकाया देनदारियों के

रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता से रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समायोजन के अधीन है। हालांकि, आयोग वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निधि की आवश्यकता के आधार पर अनुदान की अप्रयुक्त राशि के लिए स्थगन मांगने का विकल्प चुन सकता है।

11. इस आयोग ने पत्र क्रमांक. DERC / Acctt-6(3) / 2023 / 7686 / 95 दिनांकित 20.04.2023 के तहत रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से वर्ष 2022-23 के लिए वर्ष 2023-24 के लिए नया अनुदान प्राप्त होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान सहायता के अप्रयुक्त हिस्से रु.3,58,59,493 / - करोड़ को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है। विद्युत विभाग ने अपने पत्र क्रमांक. F.6 / 33 / Power / GIA / 2022 / 1012 दिनांकित 22.05.2023 द्वारा वित्त विभाग को अव्ययित राशि रु.2,98,68,917 / - का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। डीईआरसी के पत्र क्रमांक DERC / Acctt- / 6(3) / 2023 / 7686 / 522 दिनांकित 16.06.2023 के तहत शेष राशि रु. 59,90,576 / - रुपये की स्वीकृति की मांग की गई है।
12. व्यय राशि से अधिक आय रु. 73,66,729 / - को कॉर्पस / पूंजीगत निधि और देनदारियों के तहत आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया गया है।
13. कार्यालय परिसर अर्थात् विनियामक भवन, शिवालिक, मालवीय नगर पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी का है और इसलिए भवन को डीईआरसी की संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है। भवन का निर्माण तत्कालीन डीवीबी द्वारा केवल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को समायोजित करने के लिए किया गया था। शुरू में साज-सज्जा और फिक्स्चर्स पर रु. 33.95 लाख डीवीबी द्वारा वहन किए गए थे जिसे बाद में डीईआरसी के बजट में से उन्हें वापस कर दिया गया था।
14. डीईआरसी अपने कार्यालय कर्मचारियों के लिए जगह की भारी कमी का सामना कर रहा था और इसलिए बीआरपीएल से शिवालिक सबस्टेशन ग्रीड में कार्यालय की जगह को अपने नियंत्रण में रखने का अनुरोध किया था। बीआरपीएल ने डीईआरसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान उक्त स्थान को 11.04.2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए सौंप दिया। डीईआरसी ने बीआरपीएल को सूचित किया है कि वह स्थान की कमी के कारण कार्यालय स्थान का उपयोग करना जारी रखेगा और बीआरपीएल से इसकी पत्र संख्या F.1(325) / Estt- / DERC / 2012-13 / 2372 दिनांक 27.02.2017 और F.1(325) / म्जज. / DERC / 2012-13 / 1570 दिनांक 06.11.2017 के तहत ऊपरी कार्यालय स्थान को डीईआरसी को स्थायी आधार पर आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है।

वी.बी. नागप्पन
(वी.बी. नागप्पन)
सलाहकार (वित्त)

राजेश
(राजेश डांगी)
सचिव

तिथि: 27.06.2023

स्थान: नई दिल्ली

Annual Accounts 2022-23



DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Table of contents

CERTIFICATE AND AUDIT REPORT	1-4
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT	5
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT	6
BALANCE SHEET	7
SCHEDULE OF FINANCIAL STATEMENTS	8-20
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	21
ACCOUNTING NOTES	22-24

Separate Audit Report of the comptroller and Auditor General of India on the accounts of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2023

We have audited the Balance Sheet of Delhi Electricity Regulatory Commission (Commission) as on 31 March 2023 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 50 of the Delhi Electricity Reform Act, 2000 and Section 104 (2) of the Electricity Act, 2003 (Act.). These financial statements are the responsibility of the Commission's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by Government of National Capital Territory of Delhi (Department of Power) in consultation with the CAG as per Section 104 (1) of the Act.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Commission as required under Section 104 (1) of the Act in so far as it appears from our examination of such books.
- iv. We further report that:

A. Balance Sheet**Fixed Assets (Schedule-3) – Rs. 5.41 crore****Reserves and Surplus (Schedule-1) – Rs. 5.41 crore**

1. The above does not include Rs. 4.31 lakh being expenditure incurred on 'renovation of porta cabin at DERC premises' work of which was completed in January 2022 and full and final payment was made in February 2022. Since, renovation is an improvement to the asset which increases its value and life, hence, it should have been capitalised under the head fixed assets – "Porta Cabin". However, same was booked as 'Building Repair and Maintenance Expenses' under the head 'Other Administrative expenses' during the year 2021-22.

This resulted in understatement of Fixed Assets and Reserves and Surplus by Rs. 4.31 lakh, each.

Despite comment of the CAG on the accounts for the year 2021-22, no corrective action was taken by the Commission.

2. The above does not include Rs. 22.56 lakh being expenditure incurred on work of development and enhancement of the Commission's website in previous year (2021-22). Since, expenses on the development and enhancement of website is not of recurring nature and an enduring asset has been created in the form of website which will be utilized for more than one accounting period, hence, it should have been capitalised as fixed assets as per Accounting Standard 10 under the head 'Intangible Assets' or 'Software'.

This resulted in understatement of Fixed Assets (Intangible Assets/Computer Software) and Prior Period Expenses by Rs. 22.56 lakh, each. Consequently, Surplus for the year understated to the same extent.

Despite comment of the CAG on the accounts for the year 2021-22, no corrective action was taken by the Commission.

3. This above does not include Rs. 1.18 lakh being expenditure incurred on Capital Assets. Rs. 0.24 lakh incurred on procurement of Secure Socket Layer (SSL) Certificate for enhanced/updated website (valid for 24 months) booked as 'Computer Software Expense' under the head 'Other Administrative expenses' and Rs. 0.94 lakh incurred on 'fabrication and installation of work station at Conference room' and purchase and fitment of Bamboo Chick curtain' booked as Other Administrative Expenses during the year 2022-23.

This resulted in overstatement of Other Administrative Expenses and understatement of Fixed Assets by Rs. 1.18 lakh, each. Consequently, Surplus for the year was also understated to the same extent.

B. Grant-in-Aid

4. The Commission had an opening balance of unutilized grant of Rs. 3.62 crore. During the year the Commission received grants of Rs. 21.21 crore from Government of NCT of Delhi. The Commission had utilized Rs. 21.24 crore during the year and the closing balance of unutilized grant was Rs. 3.59 crore as on 31 March 2023.
- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to other matters mentioned in Annexure-I to this Report, *give a true and fair view* in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of Delhi Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2023;
 - b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account on the Surplus for the year ended on that date.

**For and on the behalf of
The Comptroller and Auditor General of India**



Principal Accountant General (Audit), Delhi

Place: New Delhi

Date: 12.12.2023

Annexure-I**1. Adequacy of Internal Audit System**

The commission has no separate internal audit wing and no internal audit had been conducted for the year 2022-23. Internal audit is required to ensure compliance with the applicable laws and regulations and also ensure accurate financial reporting. Internal audit would help in identifying the lapses and correcting the same and also strengthening the internal controls put in place by the management. Thus, absence of internal audit rendered the functioning of the Commission vulnerable.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control system of the Commission was commensurate with the size of the organisation.

3. System of physical verification of Fixed Assets

As per GFR 22, the Commission was required to maintain the fixed assets register (FAR). However, on verification of the FAR following shortcomings were noticed:

- There were no opening and closing balances of assets at the beginning and closing of the year.
- As per annual accounts, assets under the head 'Computer/Peripherals' of Rs. 43.64 lakh were purchased during the year 2022-23, however, as per FAR, Computer/Peripherals of Rs. 39.87 lakh have been reflected as purchased during the year 2022-23. Thus, there was a difference of Rs. 3.77 lakh which shows discrepancies in maintaining FAR and is not being updated regularly.
- The entries for purchase/writing off of asset were not authenticated by the Competent Authority.

4. System of physical verification of Inventory

Physical verification of the inventory was conducted for the year 2022-23.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per the information furnished to audit, the Commission is regular in payment of statutory dues.



Sr. Dy. Accountant General (TSC)

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(Amount in Rupees)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
1. Opening Balances			1. Expenses		
a) Cash in hand	1,34,186	3,35,818	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 11)	16,49,36,280	13,87,96,028
b) Bank Balances			b) Other Administrative Expenses (corresponding to Schedule 12)	4,00,92,695	3,54,71,549
(i) In Saving Accounts	3,57,07,915	4,68,12,396			
2. Grants			2. Payment of Advances/Loans		
a) From Govt. of NCT of Delhi	21,20,95,249	16,77,02,198	a) Advances of Staff		
3. Fees & Subscriptions			(i) Leave Travel Concession Advance	16,45,774	57,228
a) License Fee	9,00,18,943	10,77,99,196	(ii) Advance for Technology Devices	2,64,000	2,64,000
b) Processing Fee	1,30,87,300	87,73,575	(iii) TA/DA Advance		—
4. Interest			(iv) Foreign TA/DA Advance	12,74,198	—
a) On Synd Suvidha Deposit	5,14,678	7,14,335	b) Contingent Advances		
5. Other Income			(i) Advance to Suppliers/Contractor	1,55,000	—
a) Sale Proceeds of Books/Forms etc.	246	2,665	(ii) Advance Payment of Rent		7,04,060
b) Other Receipts	25,000	46,522	(iii) Imprest to Staff	51,000	42,000
c) Penalty	1,60,000	40,000	3. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
d) Receipts under RTI, Act	1,000	1,210	a) Purchase of Fixed Assets		
e) Receipts from Sale of Fixed Assets	5,11,751	5,07,513	(i) Capital Expenditure on Building/ Porta Cabin	—	3,43,970
6. Debt/Deposit Receipts			(ii) Office Equipments	7,59,140	36,67,496
a) Recovery of Advances from Staff			(iii) Furniture & Fittings	2,92,588	3,77,531
(i) Leave Travel Concession Advance	12,73,962	72,204	(iv) Computer/Peripherals	43,64,438	6,48,856
(ii) Advance for Technology Devices	2,64,000	2,64,000	(v) Technology Devices	12,53,081	8,34,622
(iii) TA/DA Advance		—	(vi) Vehicles	6,97,482	—
(iv) Foreign TA/DA Advance	12,74,198	—	4. Refund of Unutilized Grants/Loans/ Receipts		
b) Recovery /Adjustment of Contingent Advances			a) Receipts remitted to GoNCTD	10,43,18,918	11,78,85,016
(i) Advances to Suppliers/ Contractors	1,55,002	14,24,985	5. Refund/Payment of Deposits		
(ii) Advance Payment of Rent		3,46,500	a) Security Deposit	51,500	15,000
(iii) Imprest to Staff	51,000	42,000	b) Security Deposit (Assets)		—
c) Other Deposits			c) Earnest Money	3,30,000	7,40,000
(i) Security Deposits	6,300	14,340	6. Remittance Receipts		
(ii) Earnest Money	10,000	7,90,000	a) Recovery Pending Disbursement	25,99,459	28,44,465
7. Remittance Receipts			b) EPF Remittance Account	1,86,80,615	1,63,62,852
a) Recovery Pending Disbursement	25,99,459	28,44,465	7. Closing Balances		
b) EPF Remittance Account	1,86,80,615	1,63,62,852	a) Cash in hand	1,99,906	1,34,186
			b) Bank Balances		
			(i) In Saving Accounts (corresponding to Schedule 4)	3,46,04,730	3,57,07,915
TOTAL	37,65,70,804	35,48,96,774	TOTAL	37,65,70,804	35,48,96,774

Date: 27.06.2023

Place: New Delhi


 (V.B. Nagappan)
 Advisor (Finance)


 (Rajesh Dangi)
 Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>A. INCOME</u>			
1. Grants	7	21,23,95,704	18,01,40,052
2. Fees & Subscription	8	10,31,06,243	11,65,72,771
3. Interest Earned on Deposits Loans/Advances etc.	9	5,14,678	7,14,335
4. Other Income	10	6,97,997	5,97,910
TOTAL (A)		31,67,14,622	29,80,25,068
<u>B. EXPENDITURE</u>			
1. Establishment Expenses	11	16,49,36,280	13,87,96,028
2. Other Administrative Expenses etc.	12	4,00,92,695	3,54,71,549
3. Remittance to GoNCTD	13	10,43,18,918	11,78,85,016
TOTAL (B)		30,93,47,893	29,21,52,593
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) - Transferred to Reserve and Surplus (Free)		73,66,729	58,72,475


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

(Rajesh Dangi)
Secretary

Date: 27.06.2023

Place: New Delhi

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>			
Reserve and Surplus	1	5,40,82,514	4,75,23,776
Current Liabilities and Provisions	2	3,60,36,021	3,67,01,676
TOTAL		9,01,18,535	8,42,25,452
<u>ASSETS</u>			
Fixed Assets	3	5,40,82,514	4,75,23,776
Current Assets, Loans, Advances etc.			
a) Cash and Bank Balances	4	3,48,04,636	3,58,42,101
b) Loans and Advances	5	9,67,992	5,96,182
c) Other Current Assets	6	2,63,393	2,63,393
TOTAL		9,01,18,535	8,42,25,452



(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)



(Rajesh Dangi)
Secretary

Date: 27.06.2023

Place: New Delhi

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

(Amount in Rupees)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 1- RESERVE AND SURPLUS</u>				
Surplus of Income over Expenditure - as per last Accounts	4,75,23,776		4,29,21,884	
Add: Surplus for the year	73,66,729		58,72,475	
Deduct: Capital Investment written off (corresponding to schedule 3)	8,07,991	5,40,82,514	12,70,583	4,75,23,776
BALANCE AS AT THE YEAR END		5,40,82,514		4,75,23,776


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)


(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

(Amount in Rupees)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 2 – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</u>				
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Advance Received				
a) Security Deposit	1,26,528		1,71,728	
b) Earnest Money	50,000	1,76,528	3,70,000	5,41,728
2. Statutory Liabilities				
a) Accounts Payable	—	—	—	—
3. Other Current Liabilities				
a) Unutilized Grant	3,58,59,493	3,58,59,493	3,61,59,948	3,61,59,948
TOTAL (A)		3,60,36,021		3,67,01,676
B. PROVISIONS				
TOTAL (B)		—		—
TOTAL (A+B)		3,60,36,021		3,67,01,676


 (V.B. Nagappan)
 Advisor (Finance)


 (Rajesh Dangi)
 Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Written off during the year	Cost/value at the year end
<u>SCHEDULE 3 – FIXED ASSETS</u>				
<u>DESCRIPTION</u>				
A. FIXED ASSETS				
Books	1,48,315	—	(—)	1,48,315
Fixed Assets- “Porta Cabin”	53,65,845	—	(—)	53,65,845
Computer/Peripherals	1,04,78,408	43,64,438	(—)	1,48,42,846
Electric Installations	2,02,480	—	(—)	2,02,480
Furniture & Fixtures	1,07,34,970	2,92,588	(—)	1,10,27,558
Office Equipment	1,32,41,724	7,59,140	(8,07,991)	1,31,92,873
Technology Devices	32,15,687	12,53,081	(—)	44,68,768
Vehicles	41,36,347	6,97,482	(—)	48,33,829
TOTAL (A)	4,75,23,776	73,66,729	(8,07,991)	5,40,82,514
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS				—
TOTAL (A+B)				5,40,82,514



(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)



(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 4- CASH AND BANK BALANCES</u>				
Cash balance in hand		1,99,906		1,34,186
Balance with Schedule Banks				
- On Saving Accounts				
- Canara Bank (Syndicate Bank) – for receipts of Grant-in-Aid\	3,46,04,730		3,57,07,915	
- On Current Accounts				
- Central Bank of India – for revenue receipts	—	3,46,04,730	—	3,57,07,915
TOTAL		3,48,04,636		3,58,42,101


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 5 – LOANS AND ADVANCES</u>				
A.ADVANCES TO STAFF				
a) Advance for Leave Travel Concession	3,71,812		—	
b) TA/DA Advance	—		—	
c) Imprest to Staff	—	3,71,812	—	—
B. OTHER LOANS AND ADVANCES				
a) To Suppliers/ Contractors	9,900		9,902	
b) Advance payment of Rent	5,86,280	5,96,180	5,86,280	5,96,182
TOTAL		9,67,992		5,96,182

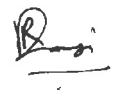

 (V.B. Nagappan)
 Advisor (Finance)


 (Rajesh Dangi)
 Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023**

(Amount in upees)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 6 – OTHER CURRENT ASSETS</u>				
A. SUNDRY DEPOSITS				
a) Security Deposits				
– Deposit with VSNL/BSNL	293		293	
– Deposit with MTNL	18,000		18,000	
– Deposit with AirTel	1,500		1,500	
– Deposit with Appellate Authority	2,43,600	2,63,393	2,43,600	2,63,393
TOTAL		2,63,393		2,63,393


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 7-INCOME FROM GRANTS</u>				
Grant from Govt. of NCT of Delhi	24,82,55,197		21,63,00,000	
Add: Moratorium of unutilized Grant	—		—	
Less: Unutilized Grant	3,58,59,493	21,23,95,704	3,61,59,948	18,01,40,052
NET INCOME FROM GRANTS AS AT THE YEAR END		21,23,95,704		18,01,40,052


(V.B. Nagappan)
 Advisor (Finance)


(Rajesh Dangi)
 Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULE 8 – INCOME FROM FEES & SUBSCRIPTIONS</u>		
a. Licence Fee	9,00,18,943	10,77,99,196
b. Processing Fee	1,30,87,300	87,73,575
NET INCOME FROM FEES & SUBSCRIPTIONS AS AT THE YEAR END	10,31,06,243	11,65,72,771


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULE 9 – INCOME FROM INTEREST EARNED ON DEPOSITS/LOANS/ADVANCES ETC</u>		
Interest on Bank Deposits	5,14,678	7,14,335
NET INCOME FROM INTEREST EARNED ON DEPOSITS/LOANS/ADVANCES ETC AS AT THE YEAR END	5,14,678	7,14,335


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULE 10 – OTHER INCOME</u>		
a. Sale proceeds of Books/Forms etc	246	2,665
b. Penalty	1,60,000	40,000
c. Receipts under RTI, Act	1,000	1,210
d. Other Receipts	25,000	46,522
e. Receipts from Sale of Fixed Assets	5,11,751	5,07,513
OTHER INCOME AS AT THE YEAR END	6,97,997	5,97,910


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

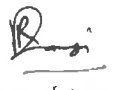
(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

<u>SCHEDULE 11 – ESTABLISHMENT EXPENSES</u>	Current Year		Previous Year	
1. Pay and Allowances				
- Chairman & Members of the Commission	34,30,529		41,15,953	
- Officers & Establishment	8,65,61,261		7,38,45,148	
- Transport Allowance	44,47,919	9,44,39,709	43,84,459	8,23,45,560
2. Wages		1,24,08,152		1,05,37,631
3. Honorarium & Fee		1,47,020		4,01,000
4. Tuition Fees		9,18,000		8,91,000
5. Medical Expenses		31,82,344		29,74,225
6. Bonus		2,41,780		2,34,296
7. Leave Travel Concession		15,26,510		1,23,102
8. Leave Salary and Pension Contribution		4,69,476		8,56,154
9. Employer's Contribution to EPF		84,37,715		75,49,052
10. EDLI Contribution to EPFC		52,124		50,925
11. EPF Administrative Charges		3,77,339		3,41,479
12. Domestic Travel Expenses		3,26,045		5,75,961
13. Local Travel Expenses		15,43,672		13,61,600
14. Foreign Travel Expenses		22,05,216		12,980
15. Rent		3,12,96,429		2,57,67,269
16. Repair & Maintenance of Leased Accommodation		36,17,328		18,54,920
17. Camp Office Facility Expenditure		18,10,995		17,36,383
18. Reimbursement of Newspapers & Periodicals Exp.		4,57,423		3,73,352
19. Reimbursement of Telephone/ Internet etc.		9,28,003		8,09,139
20. Staff Welfare Fund		5,51,000		—
TOTAL		16,49,36,280		13,87,96,028

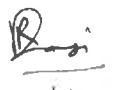

(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)


(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULE 12-OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</u>		
1. Audit Fee	4,23,210	3,46,830
2. Bank Charges	946	800
3. Books and Periodicals	65,508	58,927
4. Building Repair and Maintenance Expenses	7,37,849	10,04,482
5. Computer Consumables	5,09,584	3,44,910
6. Computer Software Expenses	3,67,023	26,97,715
7. Conference and Meeting Expenses	12,70,511	7,68,298
8. Conveyance	—	—
9. Electrical Accessories Expenses	88,971	49,827
10. Equipment and Machinery Repair & Maintenance Expenses	5,08,934	8,38,685
11. Hiring of Vehicle Expenses	11,52,560	4,05,468
12. Misc. Expenses	8,00,349	8,27,327
13. Newspaper & Periodical Expenses	50,300	16,286
14. Petrol Expenses	6,10,964	4,57,601
15. Postage & Telegram Expenses	75,555	63,492
16. Printing Charges & Form Expenses	1,33,041	2,85,710
17. Rent, Rates and Taxes	1,75,624	—
18. Repair and Maintenance of Furniture and Fixture	1,47,534	81,235
19. Stationery Expenses	3,46,496	1,98,546
20. Telephone and Internet Expenses	7,41,243	7,46,364
21. Training Expenses	2,87,920	58,410
22. Vehicle Repair and Maintenance Expenses	3,31,204	2,61,245
23. Water & Electricity Expenses	31,23,709	26,47,936
24. Advertising and Publicity	24,93,965	27,39,352
25. Professional Services	1,52,23,593	1,13,63,081
26. Legal Expenses	96,63,673	85,11,942
27. Membership Fees	7,62,429	6,97,080
TOTAL	4,00,92,695	3,54,71,549


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2023**

(Amount in Rupees)

<u>SCHEDULE 13 – REMITTANCE TO GoNCTD</u>	Current Year	Previous Year
a. License Fees	9,00,18,943	10,77,99,196
b. Processing Fees	1,30,87,300	87,73,575
c. Sale Proceeds of Books/Forms	246	2,665
d. Penalty	1,60,000	40,000
e. Receipt under RTI, Act	1,000	1,210
f. Other Receipts	25,000	46,522
g. Receipts from Sale of Fixed Assets	5,11,751	5,07,513
h. Interest on Bank Deposits	5,14,678	7,14,335
TOTAL	10,43,18,918	11,78,85,016


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)

(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE 14 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

- (1) The Annual Accounts has been prepared in the Formats of Accounts as approved by the Office of Accountant General (Audit) Delhi vide their letter No.CAS/DERC/A/cs/2002-03/538 dt. 13.10.2004 and notified by Government of NCT of Delhi, Department of Power vide notification no. F.11/(129)/2003/Power/499 dated 03.03.2010.
- (2) The Annual Accounts has been prepared on cash basis.
- (3) The Grant-in-aid received and revenue receipts are kept in separate bank accounts.
- (4) The revenue receipts of the Commission for the year 2022-23 were remitted to the Govt. of NCT of Delhi on regular basis and not utilized for any expenditure of the Commission.
- (5) No Income Tax has been provided for on revenue receipts.
- (6) The Grant-in-aid and other miscellaneous receipts are accounted for on cash basis.
- (7) All Capital and Revenue expenditure incurred are accounted for on cash basis.
- (8) No provision for expenditure accrued has been made in the accounts.
- (9) The Fixed Assets have been valued at acquisition cost as per the provisions laid down under Rule 151(4) of General Finance Rules, 1963. According to this provision, no depreciation is to be provided on Fixed Assets. Instead of charging depreciation every year, the Reserve and Surplus Fund shall stand reduced to the extent the Assets are written off in a particular year and it will be shown as "Capital Investment Written Off" in the Schedule 1. On the other hand, all the Fixed Assets shall be accounted on acquisition cost basis and the entire cost i.e. acquisition cost shall stand written off whenever a particular asset shall be disposed off.



(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)



(Rajesh Dangi)
Secretary

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**SCHEDULE 15 - NOTES ON ACCOUNTS**

1. The revenue receipts of the Commission during the Financial Year 2022-23 are amounting to Rs.10,38,04,240/- as per following details:

a. License Fees	Rs.	9,00,18,943
b. Processing Fees	Rs.	1,30,87,300
c. Sale Proceeds of Books/Forms	Rs.	246
d. Penalty	Rs.	1,60,000
e. Receipt under RTI Act, 2005	Rs.	1,000
f. Other Receipts	Rs.	25,000
g. Receipts from Sale of Fixed Assets	Rs.	5,11,751

Above revenue receipts were remitted to the Government of NCT of Delhi (GoNCTD) on regular basis.

2. The Grant-in-aid of DERC was parked in 'Synd Suvidha Deposit Scheme' of Syndicate Bank (now Canara Bank) on which a sum of Rs.5,14,678/- was earned towards interest during the year. The interest earned has been remitted to the GoNCTD from time to time apart from remittance of revenue receipts as stated in (1) above during the year.
3. All the figures in the Balance Sheet, Receipt and Payment Account and Income and Expenditure Account are rounded off in rupees.
4. The Draft DERC Fund Rules stands submitted to the GoNCTD for approval. Since the approval of GoNCTD is yet to be received, all the revenue receipts of DERC are remitted to GoNCTD on regular basis. This is in line with Controller General of Accounts letter dated 28.11.2001 whereby they have stated that the receipt of the Commission will be receipts of Government and be credited into the Government Account. After creation of DERC Fund, the Commission will apply for grant of exemption under section 10(23) of Income Tax Act, 1961.
5. In April, 2011, Department of Power, GoNCTD had allotted land measuring 5000 sq. mtr. (approx) situated in the east portion of 220 KV sub-station of Delhi Transco Ltd (DTL) in Vasant Kunj to DERC, on lease basis at a cost of Rs. 1,000/- per annum, for construction of residential bungalows/flats. However, it was observed that the said allotted land was not suitable for residential purpose as it is surrounded by the stores of DTL for inventory and transportation of heavy machinery during day and night which may cause excessive noise while loading and unloading the equipments and

said land lies in a heavy movement of traffic and heavy jams. Therefore, DERC has requested to Government, vide its letter No. F.1(308)/Estt./DERC/2011-12/372 dated 20.05.2016 and consequent reminder of even number 769 dated 29.06.2016, to cancel the allotment of land of Vasant Kunj and to allot a suitable alternate piece of land.

6. GoNCTD vide its letter no. F311/11/2005-Power/1140 dated 15.04.2011 has allotted two acre land to DERC on lease upto the year 2035 on right to use basis in Janakpuri Residential Colony Complex for construction of Residential Flats for officers and staff of DERC. The above land has not been shown in Fixed Assets as neither Lease deed of land has been executed nor possession of aforesaid land has been taken over by DERC till date.
7. DERC has issued a preliminary notice dated 07.09.2020 to NDMC for payment of Licence Fee together with interest. In this regard, DERC has issued Order on 06.01.2023 to NDMC to pay annual/license fee @0.05% annual amount billed with effect from F.Y. 2003-04 onwards along with accrued interest @ 1% per month on account of delayed payment upto the date of 31.12.2022. NDMC is directed to comply accordingly within a period of three months from the date of passing of this Order. The Licence Fee and interest thereon upto 31.03.2023 amounts to Rs.16,29,66,099/-.
8. Delhi Transco Ltd. (DTL) is to pay interest on delayed payment of Licence Fee amounting to Rs.3,33,13,978/-. DTL is paying Licence Fee under protest. DTL has also filed a Writ Petition No.2807/2019 before Hon'ble High Court of Delhi for payment of Licence Fee and the matter is sub-judice before the Hon'ble High Court of Delhi.
9. Based on DISCOMs (BRPL, BYPL & TPDDL) Audited Books of Accounts, actual License Fee payable is Rs. 4.80 crore by BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), Rs. 2.52 crore by BSES Yamuna Power Limited (BYPL) and Rs. 3.73 crore by Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL).
10. An amount of Rs. 24,82,55,197/- was sanctioned by GoNCTD towards Grant-in-Aid for Financial Year 2022-23 which includes the unutilised Grant-in-Aid of Rs. 3,61,59,948/- for the Financial Year 2021-22. The closing balance of Grant-in-Aid at the end of Financial Year 2022-23 is Rs. 3,58,59,493/- which has been deducted from the Income side of Income and Expenditure Account and shown as outstanding liabilities as this is subject to adjustment by the GoNCTD from the Grant-in-Aid receivable by the Commission during the Financial Year 2023-24. The Commission may, however exercise an option to seek moratorium for the unutilised amount of grant depending upon the fund requirement during the Financial Year 2023-24.
11. The Commission vide letter no. DERC/Acctt.6(3)/2023/7686/95 dated 20.04.2023 has sought permission from GoNCTD to carry forward the unutilized portion of Grant-in-Aid for the year 2022-23 amounting to Rs. 3,58,59,493/- crore to the next financial year for meeting its expenses till

the time fresh grant for the year 2023-24 is received. Department of Power vide letter no. F.6/33/Power/GIA/2022/1012 dated 22.05.2023 has conveyed the approval of the Finance Department to utilize the unspent amount of Rs. 2,98,68,917/-. The approval of the balance amount of Rs. 59,90,576/- has been sought vide DERC letter no. DERC/Acctt./6(3)/2023/7686/522 dated 16.06.2023.

12. The excess of Income over expenditure amounting to Rs. 73,66,729/-has been transferred to the Reserve and Surplus under Corpus/Capital Fund & Liabilities.
13. The office premises i.e. Viniyamak Bhawan, Shivalik, Malviya Nagar belong to the successor Government Company of the erstwhile Delhi Vidyut Board and therefore the Building has not been shown as asset of DERC. The Building was constructed by the then DVB solely to accommodate the Delhi Electricity Regulatory Commission. The Expenditure on furnishing and fixtures amounting to Rs. 33.95 Lakh was initially borne by DVB which later on was refunded to them out of Budget of DERC.
14. DERC was facing acute space crunch for its office staff and therefore requested BRPL to keep the office space at Shivalik Substation Grid at its disposal. BRPL conveyed acceptance of DERC proposal and handed over the said space during the Financial Year 2012-13 for a period of one-year w.e.f 11.04 2012. DERC has informed BRPL that it would continue to use the office space due to space constraint and requested BRPL vide its letter No. F.1(325)/Estt./DERC/2012-13/2372 dated 27.02.2017 and F.1(325)/Estt./DERC/2012-13/1570 dated 06.11.2017 to allot the above office space to DERC on permanent basis.

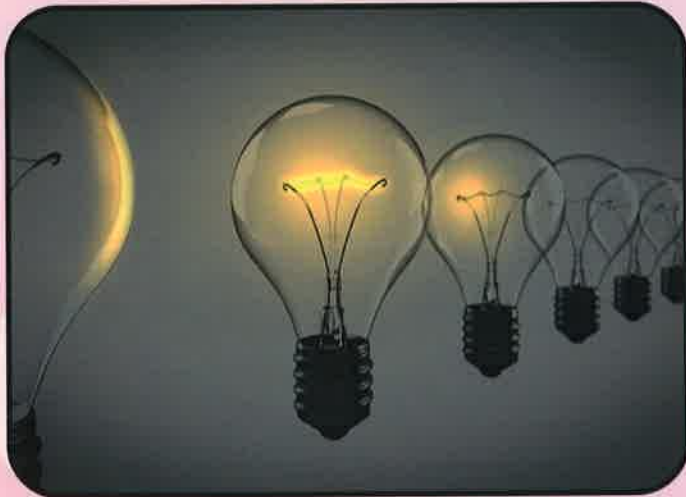


(V.B. Nagappan)
Advisor (Finance)



(Rajesh Dangi)
Secretary

Date: 27.06.2023
Place: New Delhi



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
 Viniyamak Bhavan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110017
 Ph. No. : 011-41080417, email : secyderc@nic.in, www.derc.gov.in